

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. बंदी प्रसाद पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का पुरा, तन हाडौली तहसील हिण्डौन हाल तहसील हिण्डौन जिला करौली _____ वादी

बनाम

1. मोठीना पुत्र श्री घीस्या, जाति कोली, पेशा- काश्तकारी, निवासी रारासायपुर तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राज0—मृतक
- 1/1. मु. गुलबाई बेवा मोठीना, जाति कोली, निवासी राराशाहपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली _____मृतक
- 1/2. झम्मन | पिसरान मोठीना जाति कोली
- 1/3. नबल | निवासी राराशाहपुर तह0 हिण्डौन
- 1/4. हीरा | हाल तहसील सूरौठ करौली राज0
- 1/5. मु. रामदेई पुत्री मोठीना पत्नि लालाराम जाति कोली निवासी समराया तह0 वैर जिला भरतपुर
- 1/6. मु. सुशीला पुत्री मोठीना पत्नि सुरेश जाति कोली निवासी लखनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर
- 1/7. मु. प्रेम पुत्री मोठीना पत्नि कमलेश जाति कोली निवासी लखनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर
2. रमेश चन्द पुत्र श्री दौजीराम, जाति कोली, निवासी राराशाहपुर हरिहरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राजस्थान
4. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान _____ प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक,

मुकदमा नं0 86/2007

(दुरुस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बाबत् इस्तकरार हक (दुरुस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.38 है0, 752 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.08.2025 को यह डिकी जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी 18/3
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली